न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 36 / 2018 / अपील / आर्म्स एक्ट / बूंदी
दायरा दिनांकः 5.10.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

अभिषेक हाडा आत्मज वीरबहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आंतरदा तहसील नैनवा पुलिस थाना करवर जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रोहित सिंह राजावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 8.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक 112 दिनांक 13.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1258 दिनांक 27.5.98 एक 12 बोर डबल बेरल गन नवीनीकृत दिनांक 31.12.2013 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी की नवीनीकरण के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त कर नवीनीकरण प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर आदेश कमांक 54 दिनांक 13.4.2016 से शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील सं0 22 / 16 न्यायालय हाजा मे पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 4.7.2016 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी का आदेश दिनांक 54 दिनांक 13.4.2016 अपास्त कर प्रकरण बिन्दू सं0 6 मे विवेचित बिन्दूओ का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया गया। न्यायालय हाजा के रिमांड आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी से पुनः रिपोर्ट कमांक 2868 दिनांक 4.7.2017 प्राप्त की गई रिपोर्ट मे अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुक0 नं0 172 / 01 धारा 380 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.08 को बरी तथा मुक0 सं0 223 / 2000 धारा 366, 323, 504, 34 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.3.03 को राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना वर्णित करते हुये अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही होने से आदेश दिनांक 112 दिनांक 13.6.2017 से अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को तत्काल प्रभाव से रिवोक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील इस आशय की पेश की गई कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे वर्णित मुकदमों का पूर्व मे निस्तारण हो चुका है ऐसी स्थिति मे नवीनीकरण नही किये जाने की पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर जेरअपील आदेश से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र रिवोक करने मे त्रुटि की है। जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा प्रकरण मे गुणावगुण के आधार पर विचार नही किया ना ही विवेचन व विशलेषण किया बल्कि सरसरी तौर पर अवलोकन निर्णय पारित कर दिया जिसे न्यायोचित नही कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व अपील सं0 22 / 16 मे पारित निर्णय के बिन्दू 6 मे वर्णित रिमांड निर्देशो की पालना नही की मात्र पुलिस रिपोर्ट को आधार मानते हुये जेरअपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलांट के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है ना ही आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्तता रही है। पुलिस रिपोर्ट मे दर्ज उक्त मुकदमे 13–14 वर्ष पुराने है जिनका निस्तारण हो चुका है तथा अपीलांट को दोषी नही ठहराया गया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मनमानी है। अपीलांट को जान माल की रक्षार्थ 12 बोर गन की आवश्यकता रही है। आर्म्स अनुज्ञापत्र को निरस्त करना विधि के प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त व आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायोचित नही है। अतः जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1258 बहाल कर नवीनीकरण किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 20.5.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट मनमानी है। जिन मुकदमो का वर्णन किया गया है वह 13–14 वर्ष पुराने है तथा न्यायालय द्वारा अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। अन्य कोई आपराधिक प्रकरण अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नही है ना ही अपीलांट आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त है ऐसी स्थिति मे पुलिस अधीक्षक द्वारा नवीनीकरण की अनुशंसा नही कर पुनः प्रकरण मे मनमानी रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसको आधार बनाकर अधीनसथ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। बहस मे बताया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 बूंदी द्वारा पूर्व अपील सं0 22/16 मे पारित निर्णय दिनांक 4.7.2016 रिमांड निर्देशो की पालना नही की तथा ना ही प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विवेचन व विशलेषण किया बल्कि सरसरी तौर पर अवलोकन निर्णय पारित कर दिया जिसे न्यायोचित नही कहा जा सकता। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश अपास्त किया जाकर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की गई है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के मध्यनजर लाईसेन्स का नवीनीकरण किया जाना उचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 व शपथ बावत डिले कन्डोन हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे अपीलांट द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही पेश किया गया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से सम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट क्रमांक 2868 दिनांक 7.4.2017 अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध 2 आपराधिक मुक0 सं0 172/01 व मुक0 सं0 223/2000 दर्ज हुये है जिनका निस्तारण माननीय न्यायालय से हो चुका है जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को क्रमशः बरी व राजीनामा के आधार प्रकरण का निस्तारण किया गया है। उक्त मुकदमा दर्ज होने से पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण की अनुशंसा नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश से तत्काल प्रभाव से रिवोक किया है। प्रकरण मे यह तथ्य विवेचनीय है कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मे वर्णित मुकदमों के आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र पूर्व मे आदेश क्रमांक 54 दिनांक 13.4.2016 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा मे होने पर अपील सं0 22/16 मे दिनांक 4.7.2016 को निर्णय पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को बिन्दू सं0 6 मे वर्णित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया था। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण मे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 4.7.2016 के बिन्दू सं0 6 मे अपना अभिमत विवेचित किया जा चुका है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया तथा पुनः पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट को आधार मानते हुये अनुज्ञापत्र को पुनः तत्काल प्रभाव से रिवोक करने की जेरअपील आज्ञा पारित की गई जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पूर्व मे विवेचित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट का आपराधिक प्रवृति का होना इंगित करते हो तथा आपराधिक गतिविधियों के मध्यनजर लोकशांति व लोक सुरक्षा के दृष्टिगत अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र रिवोक किया जाना आवश्यक हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण नही कर सरसरी तोर पर अवलोकन कर पुलिस अधीक्षक बूंदी की पुनः प्रेषित उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुये अनुज्ञापत्र निरस्त कर विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटि की जोना प्रकट होता है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश सं0 112 दिनांक 13.6.2017 न्यायोचित नही होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा पूर्व अपील प्रकरण सं0 22/16 मे पारित निर्णय दिनांक 4.7.2016 के बिन्दू सं0 6 मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 8.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा